



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 19 जुलाई, 2016/28 आषाढ़ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मई, 2016

संख्या: एफएफई-ए(बी) 2-6/2014.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश वन विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (एम पी डब्ल्यू), वर्ग-IV, (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (एम पी डब्ल्यू), वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
आर० डी० धीमान,
प्रधान सचिव (वन)।

उपाबन्ध— 'क'

हिमाचल प्रदेश वन विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—बहुउद्देशीय कार्यकर्ता
2. **पदों की संख्या.**—50 (पच्चास)
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग-IV (अराजपत्रित)
4. **वेतनमान (विस्तृत रूप में दिया जाए).**—(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैंड 4900-10680/- रुपए + 1300/- रुपए ग्रेड पे।
(ii) **संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.**—स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 6200/- रुपए प्रतिमास।
5. **“चयन अथवा अचयन पद”.**—लागू नहीं।
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं, और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेदित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद(पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (क) अनिवार्य अर्हताएं.—(i) वह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आठवीं पास होना/होनी चाहिए।

(ii) उसके पास गार्डनिंग में एक वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए।

अथवा

उसके पास हाऊसकीपिंग/कुकिंग का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(ख) वांछनीय अर्हता.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति की उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हतां.—लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.—सर्वथा पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत वर्ग—IV कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा जिनका ग्रेड में दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्वधीन की जाएंगी।

(I) **संकल्पना.**—(क) इस पॉलिसी के अध्वधीन वन विभाग, हिमाचल प्रदेश में बहुद्देशीय कार्यकर्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.**—सम्बद्ध वृत्त का अरण्यपाल, सीधी भर्ती के अध्वधीन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और इन नियमों में विहित अर्हता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.**—संविदा के आधार पर नियुक्त बहुद्देशीय कार्यकर्ता को 6200/—रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्पूर्वी वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/— रुपये (पद के पे बैंड का न्यूनतम ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.**—सम्बद्ध मंडल का वन मण्डल अधिकारी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् वन विभाग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.**—संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए वृत्त-वार चयन समिति निम्नलिखित से गठित होगी :—

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| (i) अरण्यपाल | .. अध्यक्ष |
| (ii) वन मंडल अधिकारी | .. सदस्य |
| (iii) वन मंडल अधिकारी/सहायक अरण्यपाल | .. सदस्य |

(VI) **करार.**—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-‘ख’ के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) **निबन्धन और शर्तें.**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/— रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190/— रुपये (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वृद्धि के लिए हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक सूचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा:

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0, एस0आर0, छूटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—‘ख’

बहुद्देशीय कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य

सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने बहुद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार बहुद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/-रुपए (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 190/- रुपये (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसा वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, या नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित(समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त बहुद्देशीय कार्यकर्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त बहुद्देशीय कार्यकर्ता को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार को कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य(ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर 3 (तीन) वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी/जाएंगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of Government Notification No Ffe-A(B)2-6/2014 dated 31-05-2016 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 31st May, 2016

No FFE-A(B)2-6/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Multipurpose Worker (MPW), Class-IV** (Non-Gazetted) Ministerial Services, in the Department of Forests, Himachal Pradesh as per Annexure-‘A’ Attached to this notification, namely :-

1. Short title and Commencement.—1. These rules may be called the Himachal Pradesh, Forest Department, Multipurpose Worker (MPW), Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
R. D. DHIMAN,
Principal Secretary (Forests).

ANNEXURE-‘A’

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MULTIPURPOSE WORKER, CLASS-IV (NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FORESTS, H.P.

- 1. Name of the post.**—Multipurpose Worker
- 2. Number of posts .**—50 (Fifty)
- 3. Classification.**—Class-IV (Non Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**— (i) Pay band for regular incumbents.— Rs. 4900-10680+ Rs. 1300/- Grade pay.
(ii) Emoluments for contract employees.—Rs. 6200/- as per details given in Col. 15-A.
- 5. Whether “Selection or Non- Selection post”.**—Not applicable
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies, who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

- (i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.
- (ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other Qualification required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualifications.—(i) He /She should be 8th pass from an Institute recognized by the Government of HP.

- (ii) He/She must have an experience in Gardening for one year

OR

He/She should have experience of housekeeping/ cooking for at least one year

(b) *Desirable Qualification.*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational Qualification(s) prescribed for Direct recruit(s) will apply in case of the promotee(s).— Age.— Not applicable.

Educational Qualification.— Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts, to be filled in by the various methods.— 100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which by transfer.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grades from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.— By transfer from amongst the Class-IV officials, with 2 years regular service in the grade, working in the identical pay scale of this post strictly on the basis of inter-se seniority.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?— Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct appointment.—Selection for appointment to the post of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test if the recruiting authority, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the recruiting authority.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) Concept .—(a) Under this policy, the Multipurpose Worker in Forest Department HP will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable year-to-year basis :

Provided that for extension/ renewal of contract period on year-to-year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) Post falls outside the purview of the HPPSC/ HPSSSB.—The Conservator of Forests of concerned circle after obtaining approval of the Government to fill up vacant posts under direct recruitment on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in the R&P Rules.

II. Contractual Emoluments.—The Multipurpose Worker appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 6200/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band + Grade pay of the post). An amount of Rs 190/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

III. Appointing/Disciplinary Authority.—The Divisional Forest Officer of the concerned Division will be the Appointing and Disciplinary Authority.

IV. Selection Process.—Selection for appointment to the post, in the case of contract appointments, will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary by written test

or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned Recruiting Agency i.e. Forest Department.

V. Committee for Selection of Contractual Appointments.—For selection of the contractual appointees there shall be a Circle wise Selection Committee constituting of the following:-

- (i) Conservator of Forests --- Chairman
- (ii) Divisional Forest Officer --- Member
- (iii) Divisional Forest Officer/ --- Member
Assistant Conservator of Forests.

VI) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-‘B’ appended to these Rules.

VII Terms and Conditions .—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount of Rs. 6200/-per month (which shall be equal to the minimum of the pay band + grade pay of the post). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 190/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day’s Casual Leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that contract appointee shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to their regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in the case of Contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Department Examination.— Not applicable

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Multipurpose Worker and the Government of Himachal Pradesh through concerned Divisional Forest Officer.

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ S/o /D/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through concerned Divisional Forest Officers(here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Multipurpose Worker on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Multipurpose Worker on Contract basis for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 6200/- per month, (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay of the post). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scale etc. will be given.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the FIRST PARTY was engaged on contract.
4. Contractual Multipurpose Worker will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Multipurpose Worker: Provided that the un-availed Causal Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed 3(three) years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF/CPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

2. _____

 (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

 (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

 (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 3 जून, 2016

संख्या : इण्ड-II(बी)2-1/2012.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में **रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर, वर्ग-III** (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग, रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर, वर्ग-III-(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) यह नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
 आर० डी० धीमान,
 प्रधान सचिव (उद्योग)

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर
2. पदों की संख्या.—1 (एक)
3. वर्गीकरण.— वर्ग—III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 5910—20200 जमा 2400 रुपए ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियों : स्तम्भ संख्या : 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8310/—रुपए प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित पहिले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि, यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि उपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों और स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी :

परन्तु पूर्ववर्ती पैरों में निर्दिष्ट उपलब्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की दशा में लागू नहीं होंगे।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता.—हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेक्स्टाइल टेक्नालजी में बी0ई0/बी टैक की उपाधि या कम से कम तीन वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।

(ख) वांछनीय अर्हता.—

- (1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिल्क रीलिंग टेक्नालजी में प्रमाण पत्र या कैप्सूल कोर्स।
- (2) डिग्री/डिप्लोमा सरकारी राजस्ट्रीकृत सिल्क रिलिंग यूनिट से उपाधि/डिप्लोमा के पश्चात कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव।
- (3) हिमाचल प्रदेश के रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अहर्ताएं : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—लागू नहीं।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अवश्य है।

15. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15. (क) संविदा के आधार नियुक्ति के लिए पद पर चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियों नीचे दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जायेगी।

(I) संकल्पना.—

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसी संविदा अवधि नवीकृता/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ :

संविदा के आधार पर नियुक्त रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर को रुपये 8310/—संविदात्मक रकम जो पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रुपये 249/— की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति एवं अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति :

जैसा सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात, इस नियमों में उपाबन्ध —‘ख’ के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) नियम एवं शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रुपये 8310/—की दर से रकम जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रुपये 249/—की दर से (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक माह की सेवा पूर्ण करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति

अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त व्यक्ति आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

- (घ) नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसार (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी अधिकृत/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायिक द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होंगे।

16 आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की वावत जारी किए गए आदेशों के अध्याधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18 शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, वहां यह, कारणों को लिखित से अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की वावत, शिथिल कर सकेगी।

रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति पुत्र /पुत्री श्री निवासी संविदा पर नियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक उद्योग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार रीलिंग डेमेंस्ट्रेटर के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार का संविदात्मक रकम रुपये 8310/—रुपये प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त)की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् एक दिन आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 135 दिनों का प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त व्यक्ति आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसार (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी अधिकृत/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायिक द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होंगे ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

गवाह की उपस्थिति में

1.....

.....
(नाम व पूरा पता)

2.....

.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

गवाह की उपस्थिति में

1.....

.....
(नाम व पूरा पता)

2.....

.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II(B)2-/2012 dated 03.06.2016, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the, 3rd June, 2016

No. Ind-II(B)2-1/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article, 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Reeling Demonstrator, Class-III (Non-Gazetted), in the Department of Industries. Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(I) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Industries, Reeling Demonstrator, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(II) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
R. D. DHIMAN,
Principal Secretary (Inds.)

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF REELING DEMONSTRATOR CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the Post.**—Reeling Demonstrator
- 2. Number of Posts.**—1 (One)
- 3. Classification.**—Class-III (Non-Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**—(i) Pay Scale for regular incumbents Rs.5910-20200+ 2400 Grade Pay.
(ii) Emoluments for contractual employees Rs. 8310/- per month as per details given in Column 15-A
- 5. Whether "Selection Post " or "Non Selection Post".**—Not applicable.
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxations in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified:

Provided that the provisions referred to preceding paras shall not be applicable in the case of contract appointee.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualification.— B.E./B.Tech. Degree or Diploma of atleast 03 years duration in Textile Technology from an institution duly recognized by the Himachal Pradesh Government/ Central Government.

(b) Desirable Qualifications.—(i) Certificate or Capsule Course in silk reeling technology from Govt. recognized institution.

- (ii) Post Degree/ Diploma working experience of at-least one year in Govt. registered silk reeling unit.
- (iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age : Not applicable

Educational Qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment, by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation / transfer is to be made.—Not applicable

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct appointment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the recruiting authority.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT :

- (a) Under this policy the Reeling Demonstrator in the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis :

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB:—

The Director of Industries, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :

The Reeling Demonstrator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8310/-- per month. (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of 249/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY :

The Director of Industries, H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount @ 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 249/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity leave and 10 days Medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the unavailed Casual Leave, Medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s)

Annexure – B

Form of Contract/ Agreement to be executed between the Reeling Demonstrator and the Government of Himachal Pradesh through Director of Industries, H.P.

This agreement is made on this day of in the year between Sh. / Smt. S/o/D/o Sh. R/o contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Reeling Demonstrator on contract basis on the following terms and conditions :-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Reeling Demonstrator for a period of 1 year commencing on the day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. That contractual amount of the FIRST PARTY Rs.8310/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first part was engaged on contract.
4. Contractual appointee will be entitled for one day's casual leave after putting, one month service. However, the Contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee :

Provided that the un-availed casual Leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forwarded for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract official shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.'

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1.

.....

(Name and Full Address)

2

.....

.....

(Name and Full Address)

Signature of the (FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

.....

.....

(Name and Full Address)

2.

.....

.....

(Name and Full Address)

Signature of the (SECOND PARTY)

**HOME DEPARTMENT
(C-Section)**

NOTIFICATION

Shimla-2. the 13th July, 2016

No. Home-C-(F)4-1/2012-Loose.—In continuation of this department's Notification No. Home-C(A)4-1/2008 dated 18th July, 2013, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to extend the State Haj Committee for another 3 years from the date of publication in Rajpatra as per the provisions made by the Government of India, Ministry of External Affairs (Haj Cell), New Delhi in 'The Haj Committee Act, 2002 (No. 35 of 2002). The composition and functions of the State Haj Committee is as under:—

Section 18(1) (ii)

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Sh. Mir Hamza,
Vice President,
Gram Panchayat Paleur, Distt. Chamba. H.P | Member |
| 2. | Sh. Akbar,
Pradhan,
G. P. KujjaMatralio, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour, H.P. | Member |
| 3. | Sh. RafiqMohd.,
Vice President,
G.P. Dugrain R/o Vill.Dinak, PO. Kanaid,
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. | Member |

Section 18 (1) (iii)

- | | | |
|----|--|--------|
| 4. | Sh. Abdul Gani
MohallaSapri, Distt Chamba, H.P | Member |
| 5. | Sh. SadoDeen,
Village Khairi, PO Trilokpur,
Tehsil Nahan, Distt. Sirmour, H.P. | Member |
| 6. | Sh. GulamMayudeen,
Hotel Aakash Ganga Main Market, Bilaspur, H.P. | Member |

Section 18 (1) (iv)

- | | | |
|----|--|--------|
| 7. | Sh. Dildar Ali Batt
VPO Khushnagri, Teh. Churah, Distt.Chamba, H.P | Member |
| 8. | Ms.RuqiyahKhanam,
Khwaja Building, 70/1 The Mall, Shimla | Member |
| 9. | Sh. Hukam Deen S/o Sh. Nek Mohammad,
Village Jhirian, Post Office Majholi,
Tehsil Nalagarh, Distt. Solan | Member |

- | | | |
|-----|--|--------|
| 10. | Sh. Sikandar Bhat,
President , Distt. Shimla Muslim Welfare Committee,
R/o Vill. Salyana, PO Chalnar, Teh. Kotkhai, Distt. Shimla. | Member |
| 11. | Mohd. Anees Chaudhary
S/o Late Sh. Sher Mohd.,
VPO Dhussara, Distt. Una, H.P | Member |

Section 18 (1) (vi)

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 12. | Additional Secretary/ Joint Secretary
Deputy Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh. | Member Secretary |
|-----|--|------------------|

Section 18 (2)

- | | | |
|-----|---|--------|
| 13. | Sh. Basherdin
S/o Sh. Kutabdin,
R/o Village BalluKharyala, PO. Bhager,
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P. | Member |
| 14. | Sh. Latif Mohammad,
Hamid Building, Sanjauli, Shimla-6 | Member |
| 15. | Sh. ChhotuDeen
S/o Late Sh. Chaudhary,
Village Salhettar,
PO. Jawalamukhi, Distt. Kangra, H.P | Member |

TERMS :

The Member of the Committee will be honorary and will work without any remuneration from the Committee. An official member of Committee, when required to attend a meeting of the Committee in any capacity may claim his traveling expenses from the State Government. A non-official member may claim traveling expenses in view of the terms and conditions annexed as Annexure A.

FUNCTIONS AND DUTIES :

The Committee will be advisory and consultative body and would act as a connecting link between the port Haj Committee, Mumbai and 'Hajji's friends'. Its main duties will be:—

- (i) To collect and disseminate information useful to intending pilgrims;
- (ii) To appoint 'Hajji's Friends' and Sub-Committee in Districts;
- (iii) To advise and assist intending pilgrims in all matters including inoculation, Vaccinations, medical inspection, issue of Pilgrim passes, depositing advance, and to cooperate with the local authorities concerned in such matters;
- (iv) To negotiate and co-operate with railway authorities for the purpose of traveling facilities for pilgrims;

- (v) To bring the grievances of the pilgrims of the notice of the authorities concerned and to suggest remedies, and;
- (vi) To do such other things which they consider would help intending Haj Pilgrims in their pilgrimage to Haj.

MEETING :

The committee shall meet from time to time as the Chairperson or the Member Secretary may determine subject to the condition that as far as possible it will meet twice in a year before the Haj day and once after the Haj is over. The date of the meeting will be fixed by the Member Secretary in consultation with the Chairperson. The notice of the time and place of the meeting and agenda will be drawn-up by the Member Secretary and will be issued to such members at least 10 days in advance. The number of members required to make a quorum at any meeting of the State Committee shall be one-third of its members. If at any meeting it is deemed necessary to transact the business on the agenda, the meeting will not be postponed.

The term of the Committee will be three years.

The Headquarters of the Committee shall be at Shimla.

CHANGE OF RULES :

The Himachal Pradesh State Haj Committee has been constituted on the pattern of the Central Government 'The Haj Committee Act, 2002 (No. 35 of 2002). Therefore, in case, any doubt arise on any point, the proposal for clarification or change of rules of the aforesaid provision may be submitted for consideration to the State Government.

ANNUAL REPORT

A brief on the work of the Committee and of any organization that may be established under its control will be communicated annually, six months after the Haj day, for the information of the Government of India.

By order,
(PRABODH SAXENA),
Principal Secretary (Home).

ANNEXURE-A

T.A/D.A. of non-official delegates of the State Haj Committee.

1. Travelling Allowance:-

(a) Journey by rail:

They will be treated at par with government servants of the first grade, and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used but not exceeding the fare in which the Government servants of the first grade are normally entitled.

(b) Journey by road:

They will be entitled to actual fare travelling by taking single seat in a public bus, and if the journey is performed by Motorcycle/ Scooter, with in Himachal Pradesh and outside. Himachal Pradesh mileage allowance at @ Rs. 2.00 per Km., or if journey is performed by full taxi/ own Car, the Chairperson / Members will be entitled to mileage allowance at @ Rs. 8.00 per Km. within Himachal Pradesh and outside Himachal Pradesh as decided by Finance Department from time to time.

2. Daily allowance:

1. A member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place at the rate applicable to Grade-I Officers of the State Government.
2. He shall draw allowance for each day of the meeting at the highest rates as admissible to Government servant of the first grade for the respective locality.
3. In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting , a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour and out station in connection with the affairs of the Committee as under:—
 - (a) It the absence from headquarters Nil dose not exceed 6 hours.
 - (b) If the absence from headquarters exceeds 70% 6 hours but not exceed 12 hours.
 - (c) If the absence from headquarters Full exceeds 12 hours.

3. Conveyance allowance:

A member, who resides at a place where the meeting of the Committee is held, will not be entitled to travelling and daily allowance on the scales indicated above, but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 20% per day. Before the claim as may be considered necessary Officer himself obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member uses his own car, he will be granted mileage allowance, at the rates admissible to Officers of the first grade subject to a maximum Rs. 20/- per day.

4. The member will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meeting of the Committee, from and to the place of their permanent residence to attend a meeting of the Committee or return to the place than the place of his permanent residence after the conclusion of the meeting. Travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence and the venue of the meeting whichever is less.

5. The provision of rules 4.17 and 6.17 and 6.1 of the Himachal Pradesh treasury Rules will apply mutatis-mutandis in the case of over payment made on account of travelling allowance to non-official members.

6. Official Members:

The Official members shall be entitled to the travelling and daily allowance admissible to them according to the rules governing them.

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला, 18 जुलाई, 2016

सं०: वि०स०-विधायन-समिति गठन/1-13/2013.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-04-2016 में, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा आंशिक परिवर्तन करते हुए श्री खूब राम, सदस्य, लोक लेखा समिति को श्री नरेन्द्र ठाकुर, सदस्य, सामान्य विकास समिति के स्थान पर तथा श्री नरेन्द्र ठाकुर, सदस्य, सामान्य विकास समिति को श्री खूब राम, सदस्य लोक लेखा समिति के स्थान पर नामांकित किया गया है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव,
हि०प्र० विधान सभा।

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th June, 2016

Ind-II(F)11-2/2007-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to exclude boilers from certain provisions of the Boilers Act, 1923 for the rapid industrialization of State.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 34 of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923), the Government of Himachal Pradesh hereby excludes boilers which have been installed or which will be installed in future from the operation of the provision of Section 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20-A,21,22 and section 23 subject to the following conditions, namely:—

(1) Before the use of boiler, the owner of the boiler may apply to the General Manager, District Industries Centre of the concerned district along with the following documents to have the boiler registered—

- (a) As per the provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 14 of the Boilers Act, 1923, all necessary documents as provided in regulation 4 of the Indian Boiler Regulations 1950 along with the applications for registration of the Boiler.
- (b) A certificate from the “Boiler Engineer” with regard to the boiler for the period and maximum pressure for which it can be safely used.

“Boiler Engineer” shall be a person:—

- (i) Who is a graduate in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized institution;
- (ii) has a minimum five years experience singly or cumulatively in the following fields related to boilers,-

(I) Design;

(II) Manufacture;

(III) Commissioning;

(IV) Operation and maintenance;

(V) Inspection and certification during manufacture or operation and maintenance;

(VI) High pressure Welding Inspection; and

(iii) Is registered with DIC as a “Boiler Engineer”

(c) Fees as prescribed by the Indian Boiler Regulations, 1950

(2) Thereafter, an annual certificate from “Boiler Engineer”, as given below shall be submitted to the “DIC” with regard to that boiler mentioning the pressure at which it can be safely used for a further period of 12 months.

“Annual certificate from Boiler Engineer”

A. Registry number of Boiler/Economiser:

B. Name, address, Telephone No., Mobile No. and e-mail address of boiler owner:

C. Address where Boiler/Economiser installed:

D. Name, address, Telephone No., Mobile No. and e-mail address of “Boiler Engineer” reporting fitness of Boiler/Economiser:

E. Certificate of “Boiler Engineer”

I have inspected the above boiler/Economiser on -----at the request of the boiler owner as required under Notification No.:----- dated -----of Government of Himachal Pradesh and I hereby certify that the boiler/economiser is fit to operate for use at a pressure of ----- for a further period of 12 months i.e. from -----to -----.

Signature of Boiler Engineer

Signature of Boiler Owner

(3) It will be responsibility of the owner of the Boiler to run and maintain it as per provisions of the Boilers Act, 1923 and regulations and rules framed under the Act and owner shall also be responsible for any violation of the provisions or accident.

(4) The “Boiler Engineer” shall follow the provision of the Boilers Act, 1923, rules & regulations framed thereunder and shall be liable and responsible for any act or omission or commission committed against the provision of said Act, rules & regulations, including deregistration as “Boiler Engineer”.

(5) If the owner of boiler violates any provision of the Boilers Act, 1923, regulations and rules framed there under or any of the above provisions, in addition to penal provisions in the

Boilers Act, 1923, a penalty of Rs. 5000 shall be imposed on him. For any subsequent offence, besides penalty of Rs 5000, penalty of Rs. 500/- per day shall be additionally imposed and/ or restriction can be imposed on the use of boiler. The General Manager, DIC shall be competent to impose the penalty or stop the use of the boiler. The owner may file an appeal with the Director Industries within 30 days of the order passed by the General Manager DIC whose orders shall be final.

By order
R. D. DHIMAN,
Pr. Secretary (Inds).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री अजय कुमार पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 108/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अजय कुमार पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री एनी (Anni) की जन्म तिथि 15-05-12 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 15-05-12 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी एनी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 एनी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अत्तरो देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम थड़ा (शिवा), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादिया।

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 106/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अत्तरो देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम थड़ा (शिवा), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री निकिता की जन्म तिथि 16-10-2001 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत शिवा में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 16-10-2001 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु० निकिता की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु० निकिता की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अत्तरो देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम थड़ा (शिवा), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादि्या।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 105/16

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अत्तरो देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम थड़ा (शिवा), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री नेहा की जन्म तिथि 10-08-2002 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के

शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत शिवा में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 10-08-2002 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 नेहा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 नेहा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरिन्द्रपाल पुत्र श्री जसवीर सिंह, निवासी सन्तोषगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
... वादी।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 109/16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरिन्द्रपाल पुत्र श्री जसवीर सिंह, निवासी सन्तोषगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 14-09-92 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पुरुवाला कांशीपुर में अपनी जन्म तिथि 14-09-92 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री हरिन्द्रपाल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री हरिन्द्रपाल की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व० श्री चेत राम, निवासी कान्शीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादिनी ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

प्रकरण संख्या : 95/16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व० श्री चेत राम, निवासी कान्शीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री त्रिशला की जन्म तिथि 15-10-1983 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत निहालगढ़ में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 15-10-83 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु० त्रिशला देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु० त्रिशला देवी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अत्तरो देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम थड़ा (शिवा), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादिनी ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

प्रकरण संख्या : 175/16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अत्तरो देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम थड़ा (शिवा), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री मुस्कान की जन्म तिथि 20-02-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत शिवा में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 20-02-11 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु० मुस्कान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु० मुस्कान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्री श्री लखवीर सिंह, निवासी 23/4, वार्ड नं० 4, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 104/16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्री श्री लखवीर सिंह, निवासी 23/4, वार्ड नं० 4, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री राजिन्द्र कौर की जन्म तिथि 25-07-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी पुत्री की जन्म तिथि 25-07-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु० राजिन्द्र कौर की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और

समझा जायेगा कि उक्त कु0 राजिन्द्र कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री विशाल कौशल पुत्र श्री शिव कुमार, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 103 / 16

उनवान मुकद्दमा :-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विशाल कौशल पुत्र श्री शिव कुमार, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 10-09-95 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी जन्म तिथि 10-09-95 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री विशाल कौशल की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री विशाल कौशल की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

अन्जुरानी चौहान पुत्री श्री जालम सिंह, निवासी टटियाणा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 102/16

उनवान मुकद्दमा :-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अन्जुरानी चौहान सपुत्री श्री जालम सिंह, निवासी टटियाणा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 01-12-1990 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत टटियाणा में अपनी जन्म तिथि 01-12-90 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अन्जुरानी चौहान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत टटियाणा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अन्जुरानी चौहान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी बेहड़ेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 101/16

उनवान मुकद्दमा :-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी बेहड़ेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 23-10-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारिकपुर में अपनी जन्म तिथि 23-10-93 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विक्रम सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारिकपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त विक्रम सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Tenzin Yeshe पुत्र श्री Rinzin Sangpo, निवासी 110-S.T.S. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 100/16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tenzin Yeshe पुत्र श्री Rinzin Sangpo, निवासी 110-S.T.S. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 01-08-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला में अपनी जन्म तिथि 01-08-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री Tenzin Yeshe की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री Tenzin Yeshe की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी स्व0 श्री देव राज, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 99/16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी स्व0 श्री देव राज, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने दोहते ओमवीर की जन्म तिथि 24-12-2005 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत कोलर में अपने ऊपर वर्णित दोहते की जन्म तिथि 24-12-2005 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री ओमवीर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री ओमवीर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

कु0 Kalsang Dolma पुत्री श्री Rinzin Sangpo, निवासी 110-S.T.S. पुरुवाला, तहसील पांवटा
साहिब, जिला सिरमौर ... वादिया।

बनाम

प्रकरण संख्या : 98 / 16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Km. Kalsang Dolma पुत्री श्री Rinzin Sangpo, निवासी 110-S.T.S. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 10-08-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत सालवाला में अपनी जन्म तिथि 10-08-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 Kalsang Dolma की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सालवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 Kalsang Dolma की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह, निवासी 1582—फर्कपुर, जगाधरी वर्कशाप यमुनानगर (हरियाणा) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 97 / 16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह, निवासी 1582—फर्कपुर, जगाधरी वर्कशाप यमुनानगर (हरियाणा) ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र मंजीत सिंह की जन्म तिथि 25-12-91 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो

गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 25-12-91 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री मंजीत सिंह की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री मंजीत सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बग्गा राम, निवासी कुन्जा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 96/16

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बग्गा राम, निवासी कुन्जा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसके चाचा स्व0 इन्द्र पुत्र अन्तु की मृत्यु तिथि 22-06-87 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुन्जा में अपने ऊपर वर्णित चाचा स्व0 इन्द्र की मृत्यु तिथि 22-06-87 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्व0 श्री इन्द्र पुत्र अन्तु की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कुन्जा या बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06-08-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और

समझा जायेगा कि उक्त स्व० श्री इन्द्र की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।